SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 PROCEDUR CODE, 1898 CRIMINAL ज.एम.एफ.सी गोहद मिण्ड In the court of गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) /2017 Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना प्रशासन भिण्ड म०प्र0 name, parentage, caste and address of accused कि छाड़ी काराका गरे करा कर 3) केरिकेट केरिकारों का देख करतार असार मिड वार १६ १३ कार्य The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक 2000 को 130 बजे से 145 बजे के मध्य स्थान ठार करर होर में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। न्यायिकं मि गोहद, जिला-निण्ड (म.प्र.) The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक- दुन्या रेगड देनी तरा के मन्द्रिक्षीर बीर्ड देशिश्वर गोडद, जिला-मिण्ड (म The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 27-10-17 को घोषित किया गया)

- अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। असएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वज़िनक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक दूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये कि ० - ५०० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पुर प्रत्येक को ..दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य जाते कार्य क

रथान-भिण्ड दिनांक-

> निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)